अहलकार ... हुक्म व... में ज...	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
नोटि... जारि...		9.1.2019 उक्त पत्र उप-1 बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 16.1.2019 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 16.1.19 पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उक्त पत्र उप-1 अपीली द्वारा उपरोक्त अपील का कालातीत संपरिवर्तन आदेश पेश करने पर अपील का प्र.पत्र 177 RTA खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर सुनाया गया जो शामिल पत्रावली रहे। निर्णय की एक प्रति T.D.R. Hmm को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे। आदेश सुनाया गया। (हस्ताक्षर) ...कलक्टर एवं ...अधिकारी ...

Scanned by CamScanner

(4)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ।

राजस्व वाद संख्याः–13/2015

अनवानः–

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ ।

––––– प्रार्थी

बनाम

गुरमेल सिह पुत्र गुरचरण सिह जाति जटसिख निवासी बुडसिहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ।

––––अप्रार्थी

उपस्थितः–

1.पैरोकार राज स्वयं उपस्थित

2.श्री खुशप्रीत सिह, एडवोकेट–अप्रार्थी।

दिनांकः–16.1.19

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी के नाम से चक 40 एन जी सी के खाता संख्या 18/17 पत्थर नम्बर 149/253(21) में किला नम्बर 19 से 22, पत्थर नम्बर 149/254(22) किला नम्बर 1,2,9 ता 12, 19 ता 22, पत्थर नम्बर 148/255(26) किला नम्बर 15 ता 18,23 ता 25 पत्थर नम्बर 149/255(27) किला नम्बर 1,2,910, पत्थर नम्बर 148/256(29) किला नम्बर 3 ता 15 कुल 7.084 हैक.कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में से खातेदारी दर्ज है प्रश्नगत कृषि भूमि अप्रार्थी के पास कृषि कार्य हेतु है तथा उसके द्वारा पत्थर नम्बर 149/253(21) किला नम्बर 19 व 20 में आवासीय ढाणी का निर्माण अप्रार्थी गुरमेल सिह द्वारा किया हुआ है जो राज्य सरकार के नियमों या विनियमों के तहत उक्त कृषि भूमि को अकृषि कार्य में संपरिवर्तित नही करवाया हुआ है किन्तु आवासीय ढाणी बना रखी है जिसकी जानकारी प्रार्थी को महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदन/रिपोर्ट पटवारी हल्का से हुई है। अप्रार्थी को प्रश्नगत कृषि भूमि कृषि कार्य हेतु दी गई थी किन्तु अप्रार्थी ने बिना किसी स्वीकृति व राज्य सरकार के नियमों व विनियमों के तहत भू–रूपांतरण करवाये अकृषि कार्य आवासीय ढाणी के हेतु प्रयोग में लिया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आज्ञापक शर्तो का उल्लंधन गया है जिससे राज्य को क्षति कारित हुई है। प्रार्थी प्रश्नगत कृषि भूमि अप्रार्थीगण को बेदखल करवाकर आराजीराज घोषित करवा कब्जा पाने का अधिकारी एवं दावेदार है। अतः प्रार्थना पत्र 177 आर टी ए स्वीकार कर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे आदि।

अप्रार्थी गुरमेल सिह द्वारा जरिये अभिभाषक जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ से प्रश्नगतरकबा किला नम्बर 20 में 0.250 हैक. कृषि का भू उपयोग

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

(5)

परिवर्तन आदेश दिनांक 15.2.2016 से करवाया गया है जिसका पंजीकरण दिनांक 16.2.2016 को करवाया गया। इस प्रकार आवासीय ढाणी का भू. उपयोग परिवर्तन करवाया जा चुका है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

राजपैरोकार एवं अभिभाषक अप्रार्थी बहस अंतिम सुनी गई। अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को बहस में दोहराया व कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजी का संपरिर्वतन करवाया जा चुका है जिसकी चित्र प्रति जवाब प्रार्थना पत्र के साथ शामिल पत्रावली की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे जिसका राजपैरोकार द्वारा विरोध किया गया।

हमारे द्वारा बहस पर मनन किया गया व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रशनगत रकबा राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी गुरमेल सिह के नाम से खातेदारी दर्ज है। पटवारी हल्का रिपोर्ट में मौका पर प्रश्नगत आराजी में आवासीय ढाणी होना पाया गया है जिसके आधार पर प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्व पेश किया गया है। अप्रार्थी ने प्रश्नगत आराजी जिस पर आवासीय निर्माण है। कार्यालय तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ के संपरिवर्तन आदेश कंमाक टी.आर.ए. 2016/47–51 दिनांक 15 फरवरी, 2016 से पत्थर नम्बर 149/253 (21) किला नम्बर 20 में 0.250 हैक्टर यानि 2500 वर्गमीटर कृषि भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवा लिया है तथा पंजीयन भी करवा लिया है। संपरिवर्तन आदेश की चित्र प्रति शामिल पत्रावली है। प्रश्नगत आराजी का भू.उपयोग संपरिर्वतन होने से राज.काश्तकारी अधि.1955 की शर्तो की पालना हो चुकी है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना न्यायोचित पाता हुँ।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत आराजी का संपरिवर्तन होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार हनुमानगढ को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दप्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 16-1-19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द सिह पुरोहित)
सहायक कलक्टर एवं
उप खण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.08.16 17:40:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: